फाइल नं0-71-3099/19/2023-03

19/2026/I/1210723/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 22 जनवरी, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती सम्बद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में ओ0पी0डी0 ब्लाक, एडमिन ब्लाक एवं इमरजेंसी ब्लाक का नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/270, दिनॉक 17.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती सम्बद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में ओ0पी0डी0 ब्लाक, एडमिन ब्लाक एवं इमरजेंसी ब्लाक का नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 977.80 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 488.90 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-143/2023/I/457676/2023-71-3099/19/2023-03, दिनॉक 28.12.2023 द्वारा अवमुक्त की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती सम्बद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में ओ0पी0डी0 ब्लाक, एडमिन ब्लाक एवं इमरजेंसी ब्लाक का नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-26-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष **रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र)** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-143/2023/I/457676/2023-71-3099/19/2023-03, दिनॉक 28.12.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 4210031052600 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बस्ती।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।